न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2021 **दायर दिनांकः 15/07/2021**

उनवान

1. मनोहर आयु 42 वर्ष दत्तक पुत्र किशोर उर्फ नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी चारण खेडी तहसील अटरू जिला बारां राज।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मोठपुर पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 86
दिनांक 05/06/2014 ग्राम पंचायत मोठपुर

उपस्थिति :—
अपीलान्टस :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
रेस्पोडेन्टस :—विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनाकः 14/05/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 05.06.2014 कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। नकल नामान्तकरण संख्या 86 एवं जमाबन्दी साथ में संलग्न है। किशोर पुत्र औकार जाति धाकड निवासी चारणखेडी की मृत्यु दिनांक 24/070/2013 को होने के उपरान्त ग्राम पंचायत मोठपुर ने मनमानी तरीके से नामान्तकरण संख्या 86 अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दत्तक पुत्र के स्थान पर पुत्र लगाकर अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया है जबकि अपीलान्ट को नन्दकिशोर वल्द औकारलाल ने गोद पुत्र रखा था इस बाबत गवाहों के समक्ष 20/— रूपये के स्टाम्प पर गोद नामा आलेखित किया था। जिसको ग्राम पंचायत ने आधार नहीं बनाया एवं

अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर बिना किसी जांच पडताल के नामान्तकरण तस्दीक करने में विधि की भारी भूल की है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 05.06. 2014 को खारिज करवाकर पुनः अपने पक्ष में मनोहरलाल दत्तक पुत्र किशोर उर्फ नन्दकिशोर के नाम से नामान्तकरण खुलवाना चाहता है। जिसका अपीलान्ट को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट को अपने नाम नामान्तकरण संख्या 86 की जानकारी दिनांक 02.04.2021 को पटवार हल्का से सम्पर्क करने पर हुई। उसके बाद कोरोना प्रभाव होने के कारण समय पर अपीनान्ट अपील पेश नहीं कर सका। इसलिए दिनांक 05.06.2014 से दिनांक 01.04.2021 तक की अवधि को न्यायहित मे कन्डोन किया जाना आवश्यक है। देर होने की अवधि के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के संलग्न है। अपील की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत तस्दीक करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण जवाब अपील बन्द किया गया।

3 साक्ष्यवादी के तहत Aw1 से AW4 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी रामनारायण पुत्र रामचरण जाति बैरवा निवासी चारणखेडी, रामचरण पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी चारण खेडी, हरिओम पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी चारण खेडी, कालूलाल पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारां द्वारा अपने शपथ गवाह में बताया कि किशोर पुत्र ओंकार जाति धाकड निवासी चारणखेडी की मृत्यु दिनांक 24.07.2013 को हो चुकी है। मनोहर को किशोर उर्फ नन्दकिशोर ने गोद पुत्र रखा था तथा हमारे सामने 20/– रूपये के स्टाम्प पर गोदनामा लिखवाया था। जिस

पर मैंने हस्ताक्षर किये है। यदि राजस्व जमाबन्दी में मनोहर पुत्र किशोर दर्ज किया है वह गलत दर्ज किया है जबकि मनोहर दत्तक पुत्र किशोर दर्ज करना चाहिए था। इसलिए राजस्व जमाबन्दी में मनोहर दत्तक पुत्र किशोर उर्फ नन्दकिशोर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4 अभिभाषक अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत तस्दीक करने के आदेश को खारिज कर पुनः अपीलांट के पक्ष में दत्तक पुत्र के रूप में 1/2 भाग पर नामान्तरण दर्ज किया जावे।

5. उक्त प्रकरण में गोदनामे के आधार पर दर्ज नामान्तरण को खारिज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75डी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को निर्णित करने से पहले न्यायालय के दायरे और अधिकारिता को समझने के लिऐ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 207(2), व धारा 207 के स्पष्टीकरण उल्लेख करना जरूरी है।

Sec. 207 (2) – No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any sit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.

Explaination:- If the cause of action is one respect of which relief might be granted by the revenue court, It is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted.

उक्त प्रकारण में अपीलांट द्वारा न तो उक्त अनरजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.09.2004 को निरस्त कराने और न ही इसमें संशोधन हेतु अपील पेश की है बल्कि उक्त गोदनामे के आधार पर अभिलिखित मृतक खातेदार किशोर पुत्र ओंकार के फौती इंतकाल दिनांक 06.05.2014 को खारिज करवाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा चाहा गया मुख्य अनुतोष अपील को खारिज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करना है अतः उक्त अपील को सुनने का राजस्व न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार है।

6 पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। ग्राम मोठपुर की नामान्तरण पंजिका में ग्राम पंचायत मोठपुर द्वारा ख0नं0 424/3036 रकबा 1.29 भूमि नामान्तरण संख्या 1515 दिनांक 05.06.2014 से मृतक खातेदार किशोर पुत्र औकार के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र, कमला बाई बेवा के नाम फौती इंतकाल तस्दीक किया गया। वादी द्वारा 20 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया। un-registered एवं un-Noterised गोदनामा दिनांक 16.09.2004 पेश किया गया। उक्त दस्तावेज को निष्पादित करने वाले गवाहों –Aw1, Sw2, Aw3 , Aw4 के न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान लिऐ गये। उक्त गवाहों ने अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि किशोर पुत्र ओंकार जाति धाकड निवासी चारणखेडी की मृत्यु दिनांक 24.07.2013 हो चुकी है। किशोर उर्फ नन्द किशोर पुत्र औंकार धाकड ने मनोहर को गोद रखा था तथा हमारे समक्ष ही 20 रूपये के स्टाम्प पेपर पर गोदनामा लिखा गया था। राजस्व रिकार्ड में मनोहर पुत्र किशोर धाकड गलत दर्ज हुआ है। यह मनोहर दत्तक पुत्र किशोर धाकड दर्ज होना चाहिऐ था। अपीलांट द्वारा पेश आधार कार्ड के अपीलांट के जैविक पिता का नाम देवीलाल पुत्र केशरलाल धाकड है। अभिभाषक अपीलांट ने दौरान–ए–बहस कथन किया कि मृतक किशोर पुत्र ओंकार जाति धाकड के 5 भाईयों में से छोटे भाई देवीलाल है। देवीलाल के दो जीवित पुत्रों में से एक मनोहर को मृतक किशोर ने गोद लिया था। मनोहर ने ही मृतक किशोर की अपने पास रखा था और देखभाल व सेवा की थी। अतः ग्राम मोठपुर के ख0नं0 424/3036 रकबा 1.26 है0 भूमि पर मृतक किशोर पुत्र ओंकार के फौती इंतकाल संख्या 1515 दिनांक 05.06.2014 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त कर 1/2

भाग पर पुत्र की जगह दत्तक पुत्र के रूप में नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। अपीलांट द्वारा पेश गोदनामा un-registered एवं un-Noterised भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार उक्त दस्तावेजों का पंजीयन होना जरूरी था। यद्यपि दस्तावेज भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के अनुसार उचित रूप से स्टाम्पड है। दस्तावेज को निष्पादित करते समय उपस्थित गवाहों के सशपथ बयानों से जाहिर है कि यह गोदनामा उनके सामने लिखा गया था। अपील में निहित विधिक बिन्दु को निर्धारित करने से पूर्व हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7, 8, 9, 10 व 11 का अवलोकन करना जरूरी है। धारा 10 के अनुसार व्यक्ति जिसे दत्तक/गोद लिया गया है वह–

1. वह हिन्दू हो,
2. वह पहले से गोद/दत्तक नहीं लिया गया हो,
3. उसका विवाह नहीं हुआ हो
4. उसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो।

इस संबंध में अपीलांट का आधार कार्ड व अनरजिस्टर्ड गोदनामें का अवलोकन किया तो जाहिर है कि अपीलांट की जन्म तिथि 01.01.1979 है और इसे दिनांक 16.09.2004 को गोद लिया गया था। अर्थात गोद लेते समय दत्तक मनोहर की आयु करीब 25 वर्ष थी जो कि धारा –10(iv) विरूद्ध है।

इसी प्रकार धारा 7, 8, 9 के अनुसार गोद देने वाले व लेने वाले शादीशुदा है तो दोनों पति–पत्नि की सहमति आवश्यक हैं उक्त गोदनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर न तो गोद देने वाले किशोर पुत्र ओंकार की पत्नि के हस्ताक्षर और न ही गोद देने वाली दंपत्ति के हस्ताक्षर है। अतः यह गोदनामा धारा 7, 8 व 9 के प्रावधानों के भी विरूद्ध है।

7. उक्त विवेचन व विश्लेषण तथा हिन्दू व भरण पोषण अधिनियम 1956 व भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

—::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को बैंच द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां